

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

क्र/क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान/ प्रस्ताव/2025/ 7338

जबलपुर दिनांक 30.07.2025

प्रति,

समस्त बीईओ/संकुल प्राचार्य
हायर सेकेंडरी/हाईस्कूल
जिला जबलपुर

विषय:- क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान प्रस्ताव भेजने विषयक।

विषयांतर्गत लेख है कि आपके अधिनस्थ लोक सेवक प्राथमिक शिक्षक/ माध्यमिक शिक्षक/ उच्च माध्यमिक शिक्षक/ सहायक शिक्षक/ उच्च श्रेणी शिक्षक/ प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला/ व्याख्याता/ हाई स्कूल प्राचार्य जिनकी नियुक्ति तिथि से 12 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष 31 जुलाई 2025 की स्थिति में पूर्ण हो गये है उनके वरिष्ठ वेतनमान/क्रमोन्नत वेतनमान के प्रस्ताव निम्नानुसार तैयार कर 15 अगस्त 2025 तक अनिवार्यतः भेजे।

1. क्रमोन्नत प्रस्ताव – 12 वर्ष, 24 वर्ष, 30 वर्ष
2. समयमान वेतनमान प्रस्ताव – 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष
3. गोपनीय प्रतिवेदन 5 वर्ष का एवं अभिमत सहित
4. सेवापुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति।
5. सेवापुस्तिका के पदभार ग्रहण की प्रविष्टि की छायाप्रति।
6. प्रथम नियुक्ति आदेश की छायाप्रति।
7. प्रथम क्रमोन्नति, द्वितीय क्रमोन्नति प्रविष्टि की छायाप्रति।
8. नियुक्ति दिनांक से पूर्ण वेतनमान प्रविष्टि की छायाप्रति।
9. पदोन्नति से इंकार नहीं किया गया का प्रमाण पत्र।
10. विभागीय जाँच लंबित न होने का प्रमाण पत्र।
11. न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र।

नोट:-उपरोक्त समस्त दस्तावेज, प्रस्ताव एकल नस्ती में संकुल प्राचार्य से प्रमाणित करावें

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला जबलपुर

क्र/क्रमोन्नति/प्रस्ताव/2025/ 7339
प्रतिलिपि:-

जबलपुर दिनांक 30.07.2025

1. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल मध्य प्रदेश की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला जबलपुर